राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 81 / 2018 जीसीएमएस नम्बर :— 2018 / 00529

राजकुमार पुत्र श्री जयपाल उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

..........प्रार्थी

— ब ना म —

1. संगीता देवी पत्नि नवीन कुमार जाति महाजन निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. महेन्द्र कंवर पत्नि जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. मंगेज कंवर पत्नि नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. औंकार सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. उप पंजियक महोदय बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति —

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता — आवेदक की ओर से ।
2. श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 की ओर से शेष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

—:: निर्णय ::—

दिनांक — 14—12—2022

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:—

1. यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी प्रकरण का वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हैं जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पु[illegible] हैं।
2. यह कि वाके ग्राम रायली तहसील [illegible] जिला झुन्[illegible].) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के गत ख[illegible] 7 बिस्वा ख.न. 19 [illegible] ख.न. 21 / 1 रकबा 4[illegible] रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ख.न. 20 रकबा 11 बिस्[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14 बिस्वा ख.न.80 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार कास्तकार नत्थुसिंह , औकार सिंह , अमर सिंह , जयपाल सिंह पुत्रान गणपत सिंह खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारान ने उपरोक्त भूमि खातेदार परिक्षत पुत्र श्योकरण जाति राजपूत से कय की थी ।

3. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमि मे से अप्रार्थी स. 3 के पिता नत्थु सिंह व अप्रार्थी स. 4 ने दिनांक 01.10.1985 को जरिय विकय पत्र 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रणसिंह , गुलसिंह , गुरूदयाल सिंह पुत्रान चन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 भाग बन्ने सिंह पुत्र श्योकरण सिंह हिस्सा 1/2 भाग को बेचान कर दिया । जिनके नाम से वर्तमान में खातेदारी दर्ज होकर अलग दर्ज हो चुकी हैं।

4. यह कि इस प्रकार अप्रार्थी स. 3 के पिता व अप्रार्थी स. 4 ने 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान करने पर इनके हिस्से मे 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष बची है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमि मे गत खसरा न. 80 के हाल खसरा न. 114, 113, 112, निर्मित हुए हैं गत ख.न. 19 के हाल ख.न. 30 तथा गत ख.न. 79 के हाल ख.न. 102 तथा गत ख.न. 20 के हाल ख.न. 123/23 निर्मित हुए हैं व गत ख.न. 21 के हाल ख.न. 123/23 व 24 , 29 निर्मित हुए हैं।

6. यह कि हाल ख.न. 113, 29, 123/33 किता 4 कुल रकबा 3.86 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी स. 3 के पिता व अप्रार्थी स. 4 ने बेचान की थी उनके खातेदारो के नाम से दर्ज हेकर अलग से खाता विभाजन हो चुका हैं।

7. यह कि अप्रार्थी स. 3 के पिता व अप्रार्थी स. 4 चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं जिन्होने राजस्व कर्मचारीयो से साठ गाठ करके अपने हिस्से की 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि बेचान करने के पश्चात भी शेष भूमि मे पुनः 1/4 , 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली हैं जिनका उन्हे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही हैं चूंकि उनके हिस्से मे मात्र 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष बची थी जो हाल ख.न. 114 मे बची हैं जिस पर अप्रार्थी स. 3 व 4 अपनी 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर काबिज हैं।

8. यह कि हाल ख.न. 112 गत ख.न. 80, 79, 77 से निर्मित हुए हैं उक्त भूमि प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 की एकांकी कब्जे कास्त मे हैं जबकि राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही से अप्रार्थी स. 3 व 4 का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । जिनका इस भूमि ... नही है इसलिए अप्रार्थी स. 3 व 4 का नाम वाद वर्णित भूमि से हजफ ... जगह प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5, 6 का 1/2 ... प्रतिवादी स. 7 को 1/2 हिस्सा दर्ज कर उनको खातेदार ... अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 , 6 ने ख.न 112 मे से 1.28 हैक्टर भूमि दावो मे दर्ज प्रतिवादी स. 4 को बेचान भी कर दिया हैं इस प्रकार दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 4 को पक्षकार बनाया हैं इसी दौरान बिना किसी न्यायालय के आदेश व डिकी के हाल ख.न. 112 का विभाजन भी कर दिया हैं जिसमें से हाल ख.न. 112/4 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स. 3 के हिस्से मे दर्ज कर दी हैं तथा ख.न. 112/1 रकबा 1.28 हैक्टर प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 , 6 के हिस्से मे दर्ज कर दिया जिसको प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 , 6 ने दावो मे दर्ज प्रतिवादी स. 4 को बेचान कर दिया हैं ख.न. 112/2 रकबा 1.29 हैक्टर दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 7 के हिस्से मे दर्ज कर दिया हैं जबकि ख.न. 112 प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 के हिस्से की भूमि थी।

10. यह कि अप्रार्थी स. 3 ने गलत रिकॉर्ड की आड़ मे हाल ख.न. 112/4 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी स. 1 व 2 को दिनांक 13.06.2017 को बेचान कर दिया जो प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 के हक व अधिकारो पर प्रथमतया शुन्य व बेअसर हैं जिस कारण से इस विक्रय पत्र अप्रार्थी स. 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नही मिलते हैं।

11. यह कि गत सप्ताह प्रर्थी जब अपने गांव आया तब अप्रार्थी स. 1 व 2 के पति प्रार्थी को मिले तथा कहा कि उक्त भूमि को हमने क्रय कर लिया हैं अब हम जबरन कब्जा कर कास्त करेगे तब प्रार्थी ने वाद वर्णित भूमि की नकल ली तो प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थी स. 3 ने गलत रिकॉर्ड की आड़ मे प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 की भूमि का प्रार्थना पत्र घोषणात्मक खातेदारी व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

12. यह कि गत सप्ताह से अप्रार्थी स. 1 व 2 के पति ने प्रार्थी को सरेआम धमकी दे रहे हैं कि वाद वर्णित भूमि ख.न. 112/4 को हमने क्रय कर लिया हैं तथा जबरन कब्जा करके किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करेगे तथा प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 का जबरन लठ के बल पर कब्जा हटायेगे। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि वो अप्रार्थी स.1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी / प्रार्थी के कब्जे कास्त की भूमि ख.न. 112/4 मे कोई दखलंदाजी ना करे तथा ना ही वाद वर्णित भूमि को रहन , बेचान , दान ना करे तथा ना ही प्रार्थी के कब्जे कास्त मे दखलदांजी करे।

13. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमि मे से अप्रार्थी स. 3 के पिता व अप्रार्थी स. 4 ने 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान कर चुके हैं तथा उनका इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है [illegible] अप्रार्थी स. 3 व 4 के नाम से 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज हो [illegible] कारण गलत रिकॉर्ड की आड़ मे अप्रार्थी स. 3 ने अप्रार्थी [illegible] 2 को [illegible] कर दिया हैं जो प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी [illegible] व अधिकारो पर बेअसर हैं जिससे अप्रार्थी स. 1 व 2 को कोई अधिकार [illegible] होते है तथा ना ही अप्रार्थी स. 1 व 2 का मौके पर कब्जा हैं इसलिए प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Ghouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

स. 5 लगायत 7 हाल ख.न. 112/4 रकबा 1.29 हैक्टर तथा ख.न. 112/3 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि की खातेदारी प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5, 6, को 1/2 हिस्सा दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 7 को 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

14. यह कि हाल ख.न. 112/3 , 112/4 प्रार्थी व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 की खातेदारी भूमि हैं जिसको गलत रिकॉर्ड की आड मे यदि अप्रार्थी स. 1 व 2 रहन, बेचान कर देते हैं या प्रार्थी के कब्जे कास्त मे दखलदांजी करते हैं तो वादी प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

15. यह कि प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे हैं।

16. यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि :–

(क) . कि अप्रार्थी . 1 लगायत 4 को जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि हाल ख.न. 112/4 रकबा 1.29हैक्टर ख..न. 112/3 रकबा 1.28 हैक्टर को दौराने वाद रहन, बेचान , दान ना करे तथा प्रार्थी के कब्जे कास्त मे कोई दखलदाजी ना करे तथा ना ही निर्माण कार्य करे व ना ही जबरन कब्जा करे व ना ही कोई हरे खड़े पेड़ो को काटे तथा अप्रार्थी स. 5 को भी जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि इस भूमि से संबंधित किसी भी दस्तावेज को तस्छीक ना करे एसा ना स्वयं करे तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारीयो से करवाये।

पत्रावली दर्ज रजिस्र्ट कर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई जिनमे से अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 की ओर से श्री राजेश अधिक्ता उपस्थित आये और जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि आवेदक द्वारा वाद पत्र पेश किया जाना स्वीकार हैं लेकिन आवेदक को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं हैं।

2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 2 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। गत ख.नं. 79 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा तथा गत ख.नं. 19 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा तथा ख.नं. 20 रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 21 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा तथा गत ख.नं. 80 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी अलग–अलग थी। गत ख.नं. 19 एवं 20 व गत ख.नं. 21 के 4 बीघा 14 [illegible] बन्ने सिंह पुत्र श्योकरण सिंह एवं रणसिंह, गु[illegible] चन्द्र सिंह 1/2 हिस्से [illegible] पुत्र श्योकरण के उपकृषक थे। यह भूमि नत्थू[illegible] ने वादी व प्रतिवादी सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद [illegible] अमर सिंह की लड़कियों व संख्या 3 लगायत 8 की वंशावली गलत दर्ज [illegible] जयपाल सिंह की लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 3 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी संख्या 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 ने दिनांक 04.10.1958 को भूमि बेचान नहीं की बल्कि जिस भूमि के उपकृषक बन्ने सिंह एवं रणसिंह, मुलसिंह, गुरूदयाल सिंह पुत्र चन्द्र सिंह थे, वह भूमि उनके नाम दर्ज करवाई गई थी, जो अमर सिंह व जयपाल सिंह की सहमति से ही करवाई गई थी। क्योंकि वे नत्थू, अमरसिंह, औकार सिंह, जयपाल सिंह सभी के ही उपकृषक थे। इसलिए उक्त 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि सभी के हिस्से से कम की गई थी। उस भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 के हकपूर्वाधिकारी नत्थू सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 ने बेचान नहीं की थी। उस वक्त उक्त चारों भाईयों का संयुक्त परिवार था एवं संयुक्त परिवार की ओर से ही वह भूमि रणसिंह, बुलसिंह, गुरूदयाल सिंह एवं बन्ने सिंह के नाम करवाने के लिए ही अर्थात वे उपकृषक थे, इसलिए उनके नाम उक्त भूमि दर्ज करवाने के लिए ही विलेख करवाया गया था, जो सभी की तरफ से करवाया गया था। इसलिए उक्त भूमि सभी के हिस्से से कम की गई थी एवं शेष हिस्सा सभी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया था। गत ख.नं. 77 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बन्ने सिंह व परीक्षित सिंह की खातेदारी में थी तथा गत ख.नं. 20, 21 एवं 19 व 79, 80 भी बन्ने सिंह वगैरह की खातेदारी में थी। उसके बाद यह भूमि अमर सिंह, नत्थू सिंह, जयपाल सिंह व औकार सिंह के नाम दर्ज करवाई तो उस समय 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक का विक्रय पत्र सहवन से पंजीकृत करवा दिया गया, जिसको दूरूस्त करवाने के लिए 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि उक्त अमर सिंह, नत्थूसिंह, जयपाल सिंह व औकार सिंह ने वापिस बन्ने सिंह एवं रणसिंह, गुरूदयाल सिंह, गुलसिंह के नाम वापिस करवाई थी। इस प्रकार उक्त भूमि जिसका वादी ने विक्रय पत्र होना बताया है, वह शेष बची हुई भूमि भी सभी की थी एवं 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पहले से ही रणसिंह, गुरूदयाल सिंह, गुलसिंह एवं बन्ने सिंह की थी, जो जयपाल सिंह, अमर सिंह, नत्थू सिंह, औकार सिंह के नाम अधिक दर्ज हो गई थी, जिसे वापिस करवाया गया था। यही कारण है कि सन् 1958 के बाद आज तक कभी भी वादी या अमर सिंह अर्थात किसी भी सह खातेदार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। यहां तक की मुकदमा नम्बर 268/2002 जिसमें वादी का पिता पक्षकार था। उसकी मृत्यु के बाद वादी पक्षकार बना एवं उन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 जो उस दावा में वादिया थी उसमें विभाजन में कोई आपत्ति नहीं की बल्कि अमर सिंह पुत्र गणपत सिंह ने प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से को स्वीकार कर उस हिस्से के अनुसार विभाजन का निवेदन किया जिस पर उस दावे में वादवर्णित भूमि के संबंध में दिनांक 18.11.2009 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं उसके बाद विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी की गई, जिसके आधार पर उस भूमि का खाता विभाजन हुआ एवं जवाबदाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विक[illegible] प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा विभाजित होकर विभाजन में प्रतिवादी संख्या 3 को उसकी भूमि [illegible] तथा खसरा नम्बर 112 का विभाजन इंतकाल नम्बर 74 [illegible] प्रति[illegible] संख्या 3 को खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई तथा [illegible] एवं उसके भाई को भूमि खसरा नम्बर 112/1 प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी [illegible] खसरा नम्बर 112/2 एवं प्रतिवादी संख्या 8 को भूमि खसरा नम्बर 112/4 विभाजन में प्राप्त हुई। साथ ही भूमि ख.नं. 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 34, 45, 69, 70, 71, 74,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

78, 79, 80, 81, 98, 106, 108, 109 व 115 किता 22 रकबा 51.21 हैक्टेयर एवं ख.नं. 103 व 105 खसरा नम्बर 87, 96 का भी विभाजान हो चुका, लेकिन उस निर्णय एवं डिक्री को वादी ने या किसी भी संयुक्त खातेदार ने आज तक चैलेंज नहीं किया ना ही भूमि खसरा नम्बर 112 के विभाजन किसी भी पक्षकार ने चैलेंज किया। इसलिए आवेदक को यह आवेदन पत्र लाने का अधिकार नहीं है।

4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 4 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी संख्या 3 के पिता ने अकेले ने कोई भूमि बेचान नहीं की ना ही 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसने प्रतिवादी संख्या 8 के साथ मिलकर बेचान की। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का व प्रतिवादी संख्या 8 का 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष रहने का प्रश्न ही नहीं है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 5 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। गत ख.नं. 80 के हाल ख.नं. 112, 113 बनना स्वीकार है। गत ख.नं. 112 में गत खसरा नम्बर 79 एवं गत ख.नं. 77 का रकबा भी शामिल हुआ है तथा हाल ख.नं. 114 में गत ख.नं. 80/2 व 81/1 का रकबा शामिल हुआ है। इस प्रकार आवेदक ने गलत तथ्य अंकित किए हैं।

6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 6 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। हाल ख.नं. 113 गत ख.नं. 80/2 से बना है। हाल ख.नं. 29 गलत ख.नं. 21/1 के कुछ भाग से बना है। क्योंकि 21/1 का रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा था तथा हाल ख.नं. 123/33 के संबंध में आवेदक ने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। इस भूमि में खाता विभाजन को आवेदक ने आज तक कहीं भी चैलेंज नहीं किया है। इसलिए आवेदक एवं उसके भाई एवं अन्य खातेदार निर्णय एवं डिक्री एवं अपने आचरण से विबंधित हैं।

7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 7 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का वादवर्णित भूमि में 1/4 हिस्सा था जिस पर वह काबिज था उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन विधिवत करवाया है। जिस पर सभी पक्षकारों की सहमति से विभाजन हुआ है। जिसके संबंध में नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 02.08.2003 को दर्ज हुआ है। जिससे सभी पक्षकार विबंधित हैं एवं उक्त विभाजन को किसी भी पक्षकार ने आज तक चैलेंज नहीं किया है, इसलिए अब वे यह दावा नहीं ला सकते हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 8 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। खसरा नम्बर 112 रकबा 5.[illegible] 77, 79 व 80 के कुछ भाग से निर्मित हुआ है एवं खसरा नम्बर [illegible] तेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम हिस्सा 1/4 थी, जिसका विभाजन इतकाल [illegible] दिनांक 02.08.2003 को हुआ है एवं उसके बाद [illegible] 3 ने अपने विभाजनशुदा भूमि की एकांकी खातेदार होने के कारण अपनी [illegible] की भूमि का बेचान जरिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2017 को किया है, तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस भूमि पर काबिज है। इसलिए आवेदक को यह आवेदन पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भूमि का बेचान करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 7 ने भी एक दावा न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रखा है, जिसमें भी स्थगन आदेश चाहा था, जो दिनांक 05.02.2018 को खारीज हो चुका है। इसके बाद वादी ने यह उन्हीं तथ्यों पर नया दावा पेश किया है जो खारीज योग्य है।

9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 9 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। ख.नं. 112/1 रकबा 1.28 हैक्टेयर जो वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हिस्से में आई थी। जिसको वादी व प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 ने अपनी होना मानकर प्रतिवादी संख्या 4 रितेश कुमार को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दी है जो स्वयं वादी ने अपने अभिवचनों में स्वीकार किया है। अर्थात विभाजन को वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अपने आचरण से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 एवं 7 के साथ मिलकर एवं प्रतिवादी संख्या 8 से षड़यंत्र कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके हिस्से से वंचित करने की नियत से यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की है जो खारीज योग्य है।

10. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 10 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। खसरा नम्बर 112/4 का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सन् 2017 में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान करना स्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस भूमि पर सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जिस प्रकार चाहें इस भूमि का उपयोग व उपभोग करने को स्वतंत्र हैं, इसलिए आवेदक का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

11. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 11 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने परिवार सहित इस भूमि पर काबिज हैं एवं इसके खातेदार को विक्रय मूल्य का भुगतान कर पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि खरीद की है तथा स्वयं वादी व उसके भाई प्रतिवादी संख्या 5 व 6 सहहिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने सहमति से भूमि खसरा नम्बर 112 का विभाजन नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 02.08.2003 से करवाया है। उक्त विभाजन को उन्होंने आज तक कहीं भी चैलेंज नहीं किया है। बल्कि उक्त विभाजन को अपने आचरण से सही होना मानकर अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 112/1 का बेचान भी प्रतिवादी संख्या 4 को कर दिया है। इसलिए आवेदक का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य है।

12. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 12 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। भूमि ख.नं. 112/4 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। इससे पहले प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा था। वादी को इस भूमि के संबंध में ना तो दावा लाने का हक है ना ही प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को इसके लिए मुकदमा लड़ने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अधिकार है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 7 ने पहले दावा किया उसमें अनुतोष नहीं मिला तो वादी से यह दावा करवा दिया। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 मिलकर बेईमानी पूर्वक उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके हक अधिकारों की भूमि से वंचित करने के लिए यह झूंठा आवेदन पत्र पेश किया है जो खारीज योग्य है।

13. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 13 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। वादी ने बार–बार झूंठे तथ्यों को दौहराया है। इस संबंध में विस्तृत उत्तर जवाब दावा के खण्ड नम्बर 1 व 2 में दिया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस भूमि के विधिपूर्ण हकदार हैं। मौके पर काबिज हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का इस भूमि खसरा नम्बर 112/4 से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसलिए ना तो उन्हें यह दावा लाने का अधिकार है ना ही यह दावा पोषणीए है। इसलिए यह दावा खरीज योग्य है तो आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारीज योग्य है।

14. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 14 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं। ख.नं. 112/4 से वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 112/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की एकांकि खातेदारी की भूमि है एवं उनका इस भूमि पर स्वतंत्र रूप से कब्जा है। इसलिए वादी को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नहीं है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि को वादी द्वारा अपनी होना बताकर यह दावा करने से अपूर्तनीय क्षति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हुई है। इसलिए वादी का यह दावा खारीज होने योग्य है तो आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारीज योग्य है।

15. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 15 गलत होने से स्वीकार नहीं। अनावेदिका संख्या 3 इस भूमि की रिकाडेड खातेदार थी जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा यह भूमि अनावेदिका संख्या 1 व 2 को बेचान की है। इससे अनावेदिका संख्या 1 व 2 इस भूमि की खातेदार हैं तथा अनावेदिका संख्या 1 व 2 का मौके पर कब्जा है। इसलिए किसी खातेदार के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तो अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं हो सकती। इसलिए यह प्रथम दृष्टया केस अनावेदिका संख्या 1 व 2 का है तथा सुविधा का संतुलन भी अनावेदिका संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्तनीय क्षति अनावेदक संख्या 1 व 2 को होगी।

16. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नम्बर 16 गलत होने से स्वीकार नहीं। इस भूमि का विभाजन नामांतकरण संख्या [illegible] के जरिए हो [illegible] है एवं विभाजनशुदा भूमि जो अनावेदिका संख्या 3 की एकाकि खातेदारी [illegible] बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अनावेदिका संख्या 3 ने अनावेदिका संख्या 1 व 2 को किया है। इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतिरिक्त उत्तर :–

17. यह कि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 5.14 हैक्टेयर जो गत ख.नं. 77 एवं 80/1 तथा 79 से बनी है। इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा था, जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 लगायत 8 ने सहमति से अपने दर्ज हिस्से सही मानते हुए जरिए नामांतकरण संख्या 74 दिनांक 02.08.2003 को विभाजन करवा लिया है। विभाजन में ख.नं. 112/4 प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आया था जिसको उसने विभाजन के करीब 14–15 वर्ष पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हिस्से में ख.नं. 112/1 आया था जिसका भी उन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर दिया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 लगायत 8 उक्त भूमि के हिस्से व विभाजन से पाबंद हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज हैं। इसलिए वादी का यह दावा खारीज योग्य है तो आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारीज योग्य है।

अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किया जाने कि कृपा करें।

दोनो पक्षो को सुना गया जिसमे प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया । जिससे यह प्रतित होता हैं कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे हैं।

– :: आदेश ::–

अतः प्राथी/आवेदक का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही नही होने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता हैं

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 14–12–2022 को ... लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ... न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:33 IST
Reason: SelfAttested